

मुकुल गोयल आई.पी.एस.
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



गुरुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0

रिम्मेंद्र बिल्डिंग, शहीद पथ,
गोमतीनगर विरतार, लखनऊ-226002
फोन नं.: 0522-2724003 / 2390240
फैक्स नं.: 0522-2724009, रीयूजी नं.: 9454400101
ईमेल: police.up@nic.in
वेबराईट: <https://uppolice.gov.in>

दिनांक: लखनऊ: जुलाई 09, 2021


प्रिय साथियों,

मेरे द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त दिनांक 07.07.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जनपदीय पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित किया गया। वर्तमान परिदृश्य एवं निकट भविष्य में पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों के सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है :—

- 1— प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। इस हेतु हमें सदैव सजग एवं सर्तक रहना होगा एवं निरोधात्मक कार्यवाही पर विशेष ध्यान देना होगा।
- 2— अपराध को छिपाया न जाये एवं स्वतंत्र व निष्क्रिय अपराध पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये।
- 3— वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गम्भीर/सनसनीखेज घटनाओं के घटनास्थल का निरीक्षण किया जाये।
- 4— विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर बल दिया जाये एवं न्यायालय में समुचित पैरवी सुनिश्चित कराई जाये।
- 5— अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ओ0आर0 कर एस0आर0 केसेज की विवेचनाओं का समय से निस्तारण कराया जाये।
- 6— वर्तमान समय में हमारे बीच साइबर क्राइम की गम्भीर चुनौतियाँ हैं। इसके लिये जनमानस को जागरूक करना आवश्यक होगा। अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सकता है।
- 7— क्षेत्र में साम्रादायिक सद्भाव बना रहे, कहीं पर जातिगत हिंसा की घटना न हो।
- 8— कम्युनिटी पुलिसिंग एवं फुट पेट्रोलिंग पर विशेष बल दिया जाये।
- 9— सोशल मीडिया सेल को सक्रिय करते हुये सभी प्लेटफार्मों की सघन मानीटरिंग की जाये। ऐसे सभी पोस्ट जो किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करते हों, उन पर तत्काल कार्यवाही की जाये।
- 10— अधिकारीगण समय से कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।

- 11— जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान दिया जाये एवं उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर विधि सम्मत कार्यवाही की जाये।
- 12— पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुरूप मा० सांसद/विधायक गण के साथ मासिक बैठक की जाये। इसी प्रकार व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ को सक्रिय कर उनके साथ मासिक बैठक की जाये।
- 13— बीट पुलिसिंग का निकट पर्यवेक्षण किया जाये एवं बीट व्यवस्था सुदृढ़ बनायी जाये, साथ ही साथ दिन-प्रतिदिन के पुलिस कार्यों में टेकनालॉजी का प्रभावी उपयोग किया जाय।
- 14— थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरा कियाशील रहें।
- 15— राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने वार्षिक, अर्द्ध वार्षिक निरीक्षण समय से पूर्ण किया जाये। थानों/चौकियों के आकस्मिक निरीक्षण पर भी ध्यान दिया जाये।
- 16— महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर भी संवेदनशील रहें।
- 17— हम अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील रहें। पुलिस कर्मी चुरस्त-दुरुस्त वर्दी धारण करें एवं विभाग में उच्चकोटि का अनुशासन बना रहे।
- 18— निकट समय में आने वाले त्योहार एवं आगामी विधान सभा चुनाव बड़ी चुनौतियों हैं। अतः प्रत्येक स्तर पर सजगता एवं सतर्कता बरती जाये।

मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि पुलिस कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शी रहे एवं निष्पक्ष दिखाई भी दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करके भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने तथा सुदृढ़ कानून-व्यवस्था बनाये रखने में सफल होंगे।

भवदीय,

(मुकुल गौयल)

- 1— समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 2— पुलिस आयुक्त, लखनऊ/कानपुर/गौतमबुद्ध नगर/वाराणसी।
- 3— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 4— समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० (प्रभारी जनपद)।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अपराध, उ०प्र०।